Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर, जिला – सांचौर

प्रार्थीगण
सांवलाराम पुत्र जगाराम वगैरा
जाति रेबारी निवासी सांचौर

बनाम

अप्रार्थी
जेठाराम पुत्र जगाराम जाति रेबारी
वगैरा निवासी सांचौर

किस्म मुकदमाः– अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा सं0:– 20/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
23.10.2024	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की ओर पर्याप्त अवसर उपरान्त जवाब पेश नही करने पर इनका जवाब बंद किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण अधिक्ता व अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों के दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सांचोर के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येंक का 32/1535 हिस्से अनुसार 0.064 हैक्टेयर हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का भी प्रत्येंक का 32/1535 हिस्से अनुसार प्रत्येंक का 0.064 आराजी बंट में आती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। माफिक राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अनसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 08 का मौके पर कब्जा काश्त पूर्व आपसी मौखिक बंटवाडा अनुसार चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 04 ता 07 ने प्रार्थीगण को इनके हक व बंट व कब्जे काश्त वाली भूमि के प्लॉट काटकर अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर मौके से बेदखल करवाने की ऐलानिया धमकियां देते है। हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 ता 8 के विरूद्ध एक मजबूत एवं ठोस आधारो पर वाद पेश किया हुआ है। जिसमें हम प्रार्थीगण के सफल होने की पूर्ण सम्भावना [illegible] अप्रार्थीगण का नाम उक्त वादग्रस्त आ[illegible] होने [illegible] हम [illegible] काश्त वाली भूमि को प्लोट काटकर किसी अजनबी [illegible] बेचान करने पर तुले हुयें है। अगर ऐसा हुआ तो हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इस हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायसंगत है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

–PTO–

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण का मौके पर काश्त व कब्जा है तथा उक्त आराजी का हमारे हिस्से का हम राज्य सरकार को लगान भी अदा करते आ रहे है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा हम उक्त आराजी के रेकोर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका नहीं गया तो हम प्रार्थीगण को तरह तरह के मुकदमेंबाजी मे उलझना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों पैसो में आंकना सम्भव नहीं है। इस प्रकार तीनो मूलभूत कानूनी स्तम्भ हम प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 04 ता 07 व 09 ता 11 को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से पांबद फरमावे कि मौजा सांचोर के खेत खसरा संख्या 251 रकबा 3.07 हैक्टर भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को आगे बैचान, रहन या किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 04 ता 07 व 09 ता 11 जारी फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता की ओर से द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का भली–भांति अध्ययन किया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनों स्तम्भ पर विवेचन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति।

प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में विवादीत आराजी मौजा सांचौर के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त सामलाती आराजी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है, तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 32/1535 वां हिस्सा अर्थात 0.064 हैक्टेयर आराजी बंद में आती है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादीत आराजी के सहख[illegible] से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के [illegible] है।

सुविधा संतुलन :– प[illegible] आराजी मौजा सांचौर के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 [illegible]यर आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त सामलाती आराजी है, तथा प्रार्थीगण प्रत्येक का 32/1535 वां हिस्सा अर्थात 0.064

- PTO -

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर आराजी बंट में आती है। उक्त विवादीत आराजी में प्रार्थीगण का मौके पर कब्जे काश्त आया हुआ है। न्यायालय हाजा में उक्त विवादीत आराजी के बंटवाडा का वाद विचाराधीन है। तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 8 द्वारा विवादीत आराजी में किसी अनजबी केता को बैंचान या प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर प्लोट काटकर किसी अनजबी व्यक्तियों को बैचान करने पर प्रार्थी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा व विवाद की बहुलयता बढेगी जिसे रोकना न्यायसगंत होने से सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अपूरर्णिय क्षति :– उक्त विवादीत आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त सामलाती आराजी है। प्रार्थीगण प्रत्येक का 32/1535 वां हिस्सा अर्थात 0.064 हैक्टेयर आराजी बंट में आती है। उक्त विवादीत आराजी में प्रार्थीगण का मौके पर कब्जे काश्त आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 4 से 8 द्वारा विवादीत आराजी में किसी अनजबी केता को बैंचान या प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर प्लोट काटकर किसी अनजबी व्यक्तियों को बैचान करने या वाद के विचारण के दौरान मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रार्थी को ओर कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। तथा प्रार्थीगण को अपूरर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपये पैसों से किया जाना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र ,शपथ पत्र ,संलग्न दस्तावेजों व बहस के तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा सांचौर तहसील सांचौर के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 हेक्टेयर आराजी में अप्रार्थी संख्या 4 से 7 व 9 से 11 राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत बनाये रखगें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(…कारी, सांचौर)
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner